फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवा हाउसिंग डवलमेंट फाईनेंस कोरपोरेशन लि0 बनाम श्री सुब्रोतो दास

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नम्बर **15/75/20**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजो इस हुक्म की तामीलमेंजारीहुए
11.01.21	आज यह पत्रावली अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151 जा0दीवानी पेश करने पर मूल पत्रावली तलब की गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रकरण सं0 15/17/20 हाउसिंग डवलमेंट फाईनेंस कोरपोरेशन लि0 बनाम श्री सुब्रोतो दास में दिनांक 25–02–2020 को निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र तहसीलदार तिजारा अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालन हेतु पारित किया गया थी। परन्तु सहवन से निर्णय के उनवान में अप्रार्थी–1 के पते में टॉवर ए–42 अंकित कर दिया एवं अंतिम भाग में तहसीलदार अलवर अंकित कर दिया, जो सहवन की गलती प्रतीत होती है। कृपया टॉवर ए–42 के स्थान पर ए–2 व तहसीलदार अलवर के स्थान पर तहसीलदार तिजारा अंकित करने की कृपा करें। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी वकील द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 का अप्रार्थी के विरूद्व पेश किया गया था। परन्तु सहवन से निर्णय में उनवान में अप्रार्थी–1 के पते में टॉवर ए–42 अंकित कर दिया एवं अंतिम भाग में तहसीलदार अलवर अंकित कर दिया, जो सहवन की गलती प्रतीत होती है। उक्त संशोधन से निर्णय के मूल स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 13.10.20 में टॉवर ए–42 के स्थान पर ए–2 व तहसीलदार अलवर के स्थान पर तहसीलदार तिजारा एवं पुलिस अधीक्षक अलवर के स्थान पर पुलिस अधीक्षक भिवाडी का संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय में सुर्खी से इस आशय का नोट अंकित कर निर्णय की प्रति कर तहसीलदार तिजारा को भिजवाई जावें। प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली के साथ संलग्न हों। (नन्नूमल पहाडिया) **जिला कलक्टर** **अलवर**	